

प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना पट्टी-

-अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है ।

-गैरकानूनी कार्य करोगे तो कड़ी कार्यवाही होगी जरूर ।

-दिनांक 07.01.2025 को पट्टी कस्बा में मैजिक डाला व चार पहिया वाहन सवारों द्वारा झगड़े में पर पहुँची पुलिस टीम के साथ अभद्रता, गाली गलौच कर हमलावर होने के प्रकरण में 02 अभ्युक्तों को पुलिस ने दबोचा

-एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में जीरो टॉलरेंस नीति के तहत थाना पट्टी पुलिस की सख्त कार्यवाही

-राम इंटर कालेज पट्टी के पास से 02 अभ्युक्त गरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 07.01.2025 की शाम में पट्टी कस्बा में मैजिक डाला व चार पहिया वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा झगड़ा किया गया । जिसमें मौके पर पहुँची थाना पट्टी पुलिस टीम के साथ चार पहिया सवारों द्वारा अभद्रता एवं गाली गलौच कर सरकारी कार्य में व्यवधान डालते हुए हमलावर के प्रकरण में पट्टी पुलिस द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्यवाही करते हुए 02 गरफ्तार किये गये ।

घटना का संक्षिप्त ववरण-

दिनांक 07.01.2025 को थाना पट्टी क्षेत्रान्तर्गत कस्बा पट्टी में दो चार पहिया सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा आपस में झगड़ा कर रहे थे । मौके पर पहुँची पुलिस टीम के साथ वाहनों में सवार कुछ व्यक्ति अभद्रता व गाली गलौच कर कार्य सरकार में व्यवधान डालते हुए हमलावर हो गये । इस संबंध में थाना पट्टी पर मु0अ0सं0-06/25 धारा 191(2), 190, 221, 132, 121(1), 352, 351(2) बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट बनाम 05 नामजद व कुछ अज्ञात के वरुद्ध पंजीकृत किया गया ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के मार्गदर्शन पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पट्टी

पट्टी आलोक कुमार के नेतृत्व में 30नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह का0 नितिन कुमार द्वारा मु0अ0सं0-06/25 उपरोक्त में ववेचनात्मक कार्यवाही के दौरान वांछित 02 अभ्युक्तों 1- प्रतिरोध संह उर्फ बन्टी संह पुत्र अनिल संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़, 2- अश्वनी संह उर्फ उर्फ महाकाल पुत्र अजय संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत राम इंटर कालेज पट्टी के पास से गरफ्तार कया गया ।

गरफ्तार अभ्युक्तों का नाम-

- 1- अश्वनी संह उर्फ महाकाल पुत्र अजय संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़
- 2- प्रतिरोध संह उर्फ बन्टी संह पुत्र अनिल संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़,

पुलस टीम-

- 1- 30नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह का0 नितिन कुमार थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधक इतिहास-

श्रेयांश संह उर्फ अश्वनी संह उर्फ महाकाल पुत्र अजय संह निवासी ग्राम बीबीपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

1-मु0अ0सं0- 194/24 धारा 147, 149, 336, 337, 504, 506 भादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

2-मु0अ0सं0-275/22 धारा 394, 427, 504, 506 भादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

3-मु0अ0सं0-347/23 धारा 147, 149, 323, 352, 504, 506 भादव थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ ।

बयान- अपराध एवं अपराधियों को वरुद्ध जीरो टॉयलेंस नीति के तहत प्रतापगढ़ पुलस की प्रभावी कार्यवाही जारी है । लोकसेवक के साथ अभद्रता /दुर्व्यवहार करने एवं सरकारी कार्य में बाँधा डालने वाले व्यक्तियों के वरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के लए प्रतापगढ़ पुलस कटिबद्ध है । बड़े बुजुर्गों को चाहिए क वह अपने बच्चों को गलत रास्ते पर चलने से रोकें एवं नागरिक नियमों का पालन करें । अपराध का अंजाम हमेशा बुरा होता है और ऐसे अपराधियों के वरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी ।

प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025

थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ

प्रतापगढ पुलस द्वारा अपराध व अपराधर्यो के वरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

थाना सांगीपुर पुलस द्वारा दुष्कर्म व पाँक्सो एक्ट के अभयोग से संबंघत 01 वांछित अभयुक्त गरफ्तार

थाना सांगीपुर पुलस टीम द्वारा अभयुक्त को थानाक्षेत्र के देउम चौराहे के पास से गरफ्तार कया गया।

पुलस अधीक्षक, प्रतापगढ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधक क्रया कलाप में संलप्त अपराधर्यो के वरुद्ध चलाए जा रहे अभयान के क्रम में अपर पुलस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी सांगीपुर श्री मनीष त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 इन्द्रेश कुमार मय हमराह का० सोनू कुमार व का0 वश्वेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 08.01.2025 को देखभाल क्षेत्र / संदिग्ध व्यक्तियों /वाहनों की चेकंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना सांगीपुर पर पंजीकृत अभयोग अन्तर्गत धारा 64(2)M/ 69 बीएनएस व 4/8/12 पाक्सो एक्ट से संबंघत अभयुक्त दीपक वर्मा पुत्र भाईलाल वर्मा निवासी ग्राम महिमापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र सांगीपुर के देउम चौराहे के पास से गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अभयुक्त का ववरण-

दीपक वर्मा पुत्र भाईलाल वर्मा निवासी ग्राम महिमापुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ ।

पुलस टीम का ववरण-

उ0नि0 हरिन्द्र कुमार यादव मय हमराह का० अमत कुमार यादव व का0 रजनेश कुमार थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ ।

प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025

थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गरफ्तार

थाना संग्रामगढ़ के आरक्षी मंदीप सिंह ने गैंगस्टर अभ्युक्त पर कसा शकंजा

आरक्षी मंदीप सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लये आरक्षी मंदीप सिंह को दिया जाएगा प्रशस्ति- पत्र, नगद पुरस्कार तथा चरित्र पंजीका में उत्तम प्रवृष्टि हेतु संबंधत को दिये गये निर्देश

असोगी नहर के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभ्युक्त गरफ्तार

गैंगस्टर चंद्रशेखर सिंह पर गोवध, पशु क्रूरता अध0 व मारपीट के अभयोग थाना संग्रामगढ़ में अभयोग अभयोग दर्ज हैं।

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलप्त अपराध्यों की गरफ्तारी हेतु बीट पुलसंग प्रणाली को मजबूत कया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना संग्रामगढ़ के बहादुर आरक्षी मंदीप सिंह के सहयोग से दिनांक 07.01.2024 को थाना संग्रामगढ़ पुलस द्वारा मु0अ0सं0 03/25 धारा 2/3 30प्र0 गरोहबन्द समाज वरोधी क्रयाकलाप (निवारण) अधनियम, 1986 में 01 वांछित अभ्युक्त 1- चंद्रशेखर सिंह पुत्र हरिकेश बहादुर सिंह निवासी निवासी ग्राम मोहम्मदपुर का खास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़ को क्षेत्रान्तर्गत असोगी नहर के पास से गरफ्तार कया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गरफ्तार अभ्युक्त का ववरण-

1-चंद्रशेखर सिंह पुत्र हरिकेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम मोहम्मदपुर का खास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

आपराधक इतिहास-

-चंद्रशेखर सिंह पुत्र हरिकेश बहादुर सिंह निवासी ग्राम मोहम्मदपुर का खास थाना संग्रामगढ़ जनपद प्रतापगढ़

का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0-15/22 धारा 3/5ए/8 गोवध अध0 व 11 पशू कुरता अध0 थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ ।

2- मु0अ0सं0-139/21 धारा 147,323,504,506,427 भादव व 3(1)द,ध व 3(2)va sc/st act थाना संग्रामगढ जनपद प्रतापगढ ।

प्रेस नोट दिनांक 08.01.2025

थाना उदयपुर, जनपद प्रतापगढ

पुलस अधीक्षक, प्रतापगढ डाॅ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन, अभ्युक्त द्वारा हत्या का प्रयास करने से संबंधित 01 वांछित अभ्युक्त गरफ्तार थाना उदयपुर पुलस टीम द्वारा अभ्युक्त को शबाना बाबा नहर पुलया के पास से गरफ्तार कया गया।

घटना का संक्षप्त का ववरण-

दिनांक 06.01.2025 को थाना उदयपुर के ग्राम पूरे वंशा कुम्भीआइमा में आरोपीगणों द्वारा एक राय होकर मारपीट करने के संबंध में प्रार्थी की तहरीर के आधार पर थाना उदयपुर में मु0अ0सं0 04/2025 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(3), 333, 324(4), 109(1), 110, 117(2) बीएनएस बनाम 12 नामजद व 08 व्यक्ति नाम पता अज्ञात अभ्युक्त पंजीकृत कया गया था ।

पुलस अधीक्षक प्रतापगढ डाॅ0 अनिल कुमार द्वारा अभ्युक्त वांछित अपराधी की गरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभयान के अंतर्गत व अपर पुलस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी उदयपुर श्री राधे बाबू के नेतृत्व में उ0नि0 सचन कुमार मय हमराह, हे0कां0 बहाबुद्दीन, का0 राहुल प्रताप द्वारा 01 अभ्युक्त शयाराम पुत्र पच्चुलाल निवासी ग्राम पूरे वंशा मजरे कुम्भीआइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ को थानाक्षेत्र उदयपुर के शबानाबाबा नहर पुलया के पास से गरफ्तार कया गया।

गरफ्तार अभयुक्त का ववरण-

01- शयाराम पुत्र पच्चुलाल निवासी ग्राम पूरे वंशा मजरे कुम्भीआइमा थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़

गरफ्तार करने वाली टीम:-

30नि0 सचन कुमार मय हमराह, हे0कां0 बहाबुद्दीन, का0 राहुल प्रताप थाना उदयपुर जनपद प्रतापगढ़।